

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०।

पत्रांक:- ग्रे.नो० / आई०टी० / 2020 / 3844
दिनांक:- 19 / 09 / 2020

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आई०टी० क्षेत्र की ईकाईयों हेतु भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना

जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि इज ऑफ ड्रइंग बिजनेस में उ०प्र० का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इसी क्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई०टी० क्षेत्र के ईकाईयों को स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में समयबद्ध नीति अपनायी गयी है।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आई०टी०/आई०टी०ई०एस० प्रयोगार्थ आवंटन हेतु चिन्हित सैक्टरों में आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं बी०पी०ओ०/कॉल सेन्टर की ईकाईयों की स्थापना हेतु निम्नवत् भूखण्ड रिक्त है:-

क) आई०टी०/आई०टी०ई०एस० प्रयोगार्थ आवंटन हेतु रिक्त भूखण्डों का विवरण

क्र०सं०	भूखण्ड संख्या	सैक्टर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	क्षेत्रफल एकड में
1	05	टेकजोन	404700	100.00
2	12	टेकजोन-2	113316	28.00
3	19	नॉलेज पार्क-5	101114.27	24.98
4	03	नॉलेज पार्क-5	103049.90	25.46

ख) बी०पी०ओ०/कॉल सेन्टर के प्रयोगार्थ आवंटन हेतु रिक्त भूखण्डों का विवरण

क्र०सं०	भूखण्ड संख्या	सैक्टर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	1/31	नॉलेज पार्क-5	500
2	22/5	नॉलेज पार्क-5	1000
3.	22/6	नॉलेज पार्क-5	1000
4.	22/8	नॉलेज पार्क-5	1000
5.	22/27	नॉलेज पार्क-5	500
6.	28	टेकजोन-7	500
7.	1/17	नॉलेज पार्क-5	500
8.	22/23	नॉलेज पार्क-5	500
9.	22/14	नॉलेज पार्क-5	1000
10.	22/9	नॉलेज पार्क-5	1000
11.	1/22	नॉलेज पार्क-5	500
12.	51,52,	टेकजोन-7	1000
13.	09	टेकजोन-7	500
14.	22/7	नॉलेज पार्क-5	1000
15.	1/7	नॉलेज पार्क-5	500

Xoo
19/9/20

जिन ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड के ऊपर है अर्थात उ0प्र0शासन के द्वारा घोषित औधोगिक नीति-2017 के अन्तर्गत मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी में है तो वे अपना निवेश हेतु प्रस्ताव तथा भूमि आवंटन हेतु अनुरोध अपर मुख्य सचिव, आई0टी0एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष कर सकते हैं।

उ0प्र0शासन द्वारा उनके निवेश का प्रस्ताव का **Comfort Letter** प्राधिकरण में प्राप्त होने पर तथा उनके द्वारा भू-आवंटन हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अन्दर रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड का आवंटन निर्धारित शर्तों के अनुसार ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कर दिया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड प्रति एकड निवेश करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 एवं बी0पी0ओ0/कॉल सेन्टर ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड से कम है वे भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन के माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे इच्छुक आवेदकों को भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के हेतु रिक्त भूखण्डों की सूचना ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in तथा GIS प्लेटफार्म पर दर्शित है।

आज्ञा से,


(अनिल कुमार शर्मा)

उप महाप्रबन्धक (आई0टी0)

मोबाइल-9205292936

ईमेल-dgmit@gnida.in